रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1974/माघ 30, 1895
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1974/MAGHA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February 1974

G.S.R. 42(E)/IDRA/30/1/74.—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect of the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These Rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) sub-rules (2) and (2A) shall be omitted;

(ii) in sub-rule (3), the proviso shall be omitted.

3. Form D(I), Form D(II), Form E, Form E(I), Form E(II), Form EE, appended to the said rules shall be omitted.

[No. 13/1/LP-74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 42 (अ).—आई० डी० आर० ए० /30/1/74—औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा ।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में,—

   (i) उपनियम (2) और (2क) लुप्त कर दिए जाएंगे ;

   (ii) उपनियम (3) में परन्तुक लुप्त कर दिया जाएगा ।

3. उक्त नियम से उपाबद्ध प्ररूप घ (1), प्ररूप घ (2), प्ररूप ङ (1) प्ररूप ङ (2), प्ररूप ङ ङ लुप्त कर दिए जाएंगे ।

[सं० 13/1/एल० पी०/74]

एस० के० महगल, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974